जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया ।

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बलिया के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणो की नीलामी दिनाक 13।09।2023 को नियत की गयी है । नीलामी खुली बोली के आधार पर सम्पन्न की जायेगी । नीलामी की कायवाही दिनाक 13।09।2023 को जनपद न्यायालय बलिया के सभागार कक्ष में सम्पादित की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति निम्न कम्प्यूटर व सहवर्ती कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी शर्तो के अधीन नीलामी पकिया में भाग ले सकते हैं ।

जनपद न्यायालय बलिया के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवोयर एवं उनके सहवर्ती उपकरणों का विवरण निम्नवत् है ।

Sr. No.	Computer hardware details	Quantity
1.	HP SCANJET 8270 SCANNER	1
2.	8 PORT USB KVM SWICH	1
3.	UNILINE 2 KVA ONLINE UPS	1
4.	HCL LX INFINITI PRO SL 5080 SLIM PC (LINUX)	25
5.	HP LASERJET PRINTER P1008	25
6.	TVS MSP 455XL (136COL,24 PIN) CLASSIC PRINTERS	23
7.	HCL WINBEE 4000 BIKX THIN CLIEN	73
8.	UNILINE 500 VA LINE INTERACTIVE UPS	20
9.	TONER CARTRIDGE	100
10.	UPS BATTERIES	96
11.	WIPRO DMP PRINTER	9
12.	PENTIUM SERVER WITH CRT MONITOR	1
13.	MULTILINGUAL TERMINAL	9
14.	HP SCANNER	1
15.	IBM COMPUER WITH CRT MONITOR	1
16	LASERJET PRINER	1
17.	UPS 1 KVA	1
18.	UPS BATTERIES	8

उक्त निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उनके सहवर्ती उपकरणों के नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित हैं :-

1- उक्त निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं उनके सहवर्ती कम्प्यूटर उपकरणों की भौतिक सत्यापन एवं संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नीलामी समिति द्वारा सर्वसम्मति उसका न्यूनतम धनराशि अंकन 20000/- निर्धारित की जाती है । जिसे सरकारी बोली की धनराशि मानी जायेगी ।

2- नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक आवेदन कर्ता को मु0 5000/-रूपये वतौर जमानत नकद जमा करना होगा एवं धन जमा करने वाला व्यक्ति ही नीलामी में प्रतिभागी होगा अन्य व्यक्ति प्रतिभागी नही होगा । जमानत की धनराशि दिनाकं 12।09।23 तक नजारत में जमा की जायेगी । नियत तिथि तक जमानत की धनराशि जमा न करने पर नीलामी में किसी प्रकार से भाग नही ले सकेगें ।

3- नीलामी में जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी की जमा जमानत धनराशि नीलामी की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी । शेष प्रतिभागी द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि उन्हे वापस कर दी जायेगी ।

4- नीलामी के पूर्व कार्यालय अवधि में किसी भी कार्य दिवस को सिस्टम अअफिसर से सम्पर्क कर कम्प्यूटर उपकरणों का निरीक्षण किया जा सकता है ।

5- माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया को अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी भी बोली को मान्य अथवा अमान्य कर सकते हैं ।

6- नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की स्व हस्ताक्षरित प्रति तथा एक पासपोर्ट साईज फोटो लगाकर दाखिल करना होगा तथा मूल साथ लाना आवश्यक होगा ।

7- नीलामी स्वीकृत होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के अतिरिक्त अन्तिम बोली की शेष धनराशि को उसी दिन या अगले कार्यदिवस में नजारत में जमा करना अनिवार्य होगा । नीलामी की शेष धनराशि जमा न करने पर जमा जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी ।

8- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 में लोक नीलामी के पैरा 8 के अनुसार प्रत्येक बोलीकर्ता अपनी बोली से बाध्य

होगा । चाहे वह उंची अथवा नीची हो किसी भी दशा में नीलामी की राशि माफी योग्य नही होगी ।

9- नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर नीलाम सुदा कम्प्यूटर एवं सहवर्ती कम्प्यूटर उपकरणों को नीलाम प्राप्तकर्ता अपने खर्च पर न्यायालय परिसर से ले जायेगा। अनुपालन न करने पर प्रतिदिन 1000/- रूपये की दर से विलम्वशुल्क देय होगा ।

10- यह नीलाम नोटिस माननीय जनपद न्यायाधीश वलिया के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी होगा ।

(हुसैन अहमद अंसारी)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0 3

<u>प्रतिलिपि निम्न को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 जिलाधिकारी के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3 नगरपालिका वलिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4 माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
5 जिला सूचना अधिकारी वलिया को स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु ।
6 जनपद न्यायालय वलिया के वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
7 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह जनपद वलिया के वेवसाईट पर अपलोड करें ।

अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला जज कोर्ट सं0 3
वलिया

Approved
01/9/23